151

COURT FEE INDIA TEN RUPEES (court fee stamps)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 /17 नि0मा0 II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/6020

श्री एम. पी. भटनागर, अभि.
द्वारा आज दि. 11-12-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे. दि. 10-1-2018

Filed by
M P Bhatnagar Adv
11/12/17

शिवजी प्रसाद उर्फ कैलाशनारायण पुत्र बंशलाल उर्फ बंशीलाल आयु 65 साल जाति व्राम्हण धन्धा एक्स सर्बिस निबासी बरहद तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड म0प्र0———————— **निगरानी कर्ता**

बिरूद्ध

1. रामबरन
2. रामलखन
3. रामकिशोर
4. देवेन्द्र कुमार पुत्रगण मातादीन
5. छोटेलाल पुत्र बंशीलाल उर्फ बंशलाल जाति सभी व्राम्हण सभी का धन्धा खेती सभी निबासी ग्राम बरहद तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड म0प्र0——————**नौन निगरानीकर्ता**

निगरानी बिरूद्ध न्यायालय एस0डी0ओ0 **मेंहगांव के प्रकरण कमांक** 2/16–17 **अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 1–12–17 से दुखित होकर धारा 50 म0प्र0 भू– रा0 सं0 – 1959 के तहत**

---

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/6020

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	